



Neutral Citation No. - 2026:AHC:47329

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3215/2026

शोभा राठौर

----- याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

----- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : निशांत

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थाई अधिवक्ता, महेंद्र नारायण सिंह

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री निशांत, राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, तथा आयोग की ओर से श्री निशीथ यादव को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 21.08.2023 को विज्ञापन संख्या A-3/E-1/2023 के तहत विज्ञापित वर्ष 2023 की परीक्षा के आधार पर, स्टाफ नर्स (पुरुष/महिला) के पद पर भर्ती के लिए आवेदन किया था। रिट याचिकाकर्ता ने परीक्षा दी, जिसका परिणाम 20.02.2024 को प्रकाशित हुआ और रिट याचिकाकर्ता मुख्य परीक्षा के लिए पात्र हो गईं; उसे प्रवेश पत्र जारी किया गया और उसके बाद, रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, उसने परीक्षा में भाग लिया। हालाँकि, उसकी शिकायत यह है कि यद्यपि रिट याचिकाकर्ता ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, फिर भी स्टाफ नर्स (पुरुष/महिला) परीक्षा 2023 के माध्यम से चयन और नियुक्ति के लिए रिट याचिकाकर्ता की उत्तर-पुस्तिकाओं में कुछ हेरफेर किया गया है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. इस रिट याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि आयोग को यह निर्देश दिया जाए कि वह 07.03.2025 को आयोजित परीक्षा की मूल्यांकन की हुई उत्तर-पुस्तिकाएँ प्रस्तुत करे।
4. इस मामले पर अवकाश से पहले सुनवाई हुई थी और श्री निशीथ यादव ने अवकाश के बाद निर्देश देने के लिए समय माँगा था। निर्देश प्रस्तुत कर दिए गए हैं, जिन्हें अभिलेख पर ले लिया गया है और परिशिष्ट 'क' के रूप में अंकित किया गया है।
5. आयोग के विद्वान अधिवक्ता श्री यादव ने निवेदन किया है कि रिट याचिकाकर्ता को आयोग के सचिव से संपर्क करना होगा, और संपर्क किए जाने पर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव उसके बाद एक तिथि निर्धारित करेंगे, जिस पर रिट याचिकाकर्ता उपस्थित होकर उत्तर-पुस्तिका का अवलोकन कर सकेगा।
6. इस तरह के निवेदन पर, रिट याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को कोई आपत्ति नहीं है।
7. कटघरे के समक्ष किए गए निवेदन और उनके द्वारा अपनाए गए रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण इस शर्त के साथ किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता होगी कि वह किसी भी कार्य दिवस पर आयोग के सचिव से संपर्क करे और उत्तर-पुस्तिकाओं को देखने का अनुरोध करे; और इस अनुरोध पर, सचिव रिट याचिकाकर्ता को उत्तर-पुस्तिका देखने की अनुमति देंगे।

(विकास बुधवार, जे.)

9 मार्च, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।